''विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''




पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2002—आश्विन 15, शक 1924

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 5500/5006/लो.नि.वि./2002.—टोलटेक्स एक्ट, 1851 (क्रमांक 2, वर्ष 1851) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है, की धारा-2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निजी पूंजी निवेश से किये जा रहे निम्न कार्य हेतु पथकर अधिरोपित करता है :—

''विलासपुर-कटघोरा-कोरबा-चांपा मार्ग का उन्नयन एवं अनुरक्षण कार्य (151 कि.मी.)''.

उक्त मार्ग पर इस विभाग की अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट दरें पर पथकर उद्ग्रहित होगा. यह अधिसूचना लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-23/4/2000/जी-19, दिनांक 27-1-2000 द्वारा जारी की गई है.

उक्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण के लिये ठेकेदार एवं सक्षम प्राधिकारी के मध्य निष्पादित अनुबंध के पैरा क्रमांक 23.1 में निहित शर्तों के अनुरूप पथकर अधिरोपण, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, परिक्षेत्र-बिलासपुर द्वारा प्राधिकृत किया जावेगा.

यह अधिसूचना दिनांक 16-10-2002 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**टी. एस. छतवाल, सचिव.**

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5500-अ/5006/लो.नि.वि./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5500/5006/लो.नि.वि./2002 रायपुर, दिनांक 7-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. एस. छतवाल, सचिव.

Raipur, the 7th October 2002

NOTIFICATION

No.5500/5006/PWD./2002.—In exercise of the powers conferred by Section-2 read with Section-4 of The Indian Tolls Act, 1851 (No. VII) the State Government hereby levies tolls tax on the following road improved and maintained by private enterpreneur:—

"Improvement and maintenance of Bilaspur-Katghora-Korba-Champa Road (151 K. M.)".

The toll tax on the said road shall be levied at the rates specified in the notification issued by Government of M. P., PWD, Bhopal, No./F-23/4/2000/G-19, Dated 27-1-2000.

The Chief Engineer, Bilaspur Zone, Public Works Department, Bilaspur shall authorise levy of Toll Tax on the said road, in accordance with the conditions contained in para 23.1 of the agreement executed for the improvement and maintenance of the road, between the contractor and the competent authority of the Department.

This notification shall come into force with effect from 16-10-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. S. CHHATWAL, Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.